03

संख्याः 1587 / VII-1/62–ख/2014

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग विभाग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2015**

विषयः राजकीय मुद्रणालय, रूड़की हेतु 03 डिजीटल मल्टीफंग्शन मशीनों का क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की के पत्र संख्या–3229/भण्डार–क्रय/15–16 दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 एवं अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की के पत्र संख्या–3229/पत्र संख्या–3537/भण्डार–क्रय/15–16 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें और उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 8,10,810.00 (₹ आठ लाख दस हजार आठ सौ दस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर पर्चेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय संबंधी नियम शासनादेश एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों यथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय।

(5) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2016 तक कर लिया जाय। उक्त तिथि के उपरान्त अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को शासन को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–4058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–103–सरकारी मुद्रणालय–03–सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय–26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–736(P)/XXVII(2)/2015 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव

संख्याः 1587 (1) /VII-1/ 2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की हरिद्वार।
3. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की हरिद्वार।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
संयुक्त सचिव